



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 274 राँची, बुधवार,

15 जून, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

15 जून, 2022 / ज्येष्ठ 25, 1944 (शक)

सं. 479/2022:-यतःभारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि की समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 56 के खण्ड (1) के अनुसार तारीख 24 जुलाई, 2022को होने वाली है; और

यतः संविधान के अनुच्छेद 62 के खण्ड (1) के अनुसार, उनकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व पदधारी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित है; और

यतः राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन के लिए तारीख इस तरह नियत की जानी अपेक्षित है कि यह निर्वाचन समय के अन्दर पूरा हो जाए ताकि इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार वर्ष 2022 की जुलाई के पच्चीसवें दिन को ग्रहण कर सके।

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा: –

- अ) संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान राष्ट्रपति की अवधि खत्म होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और
- आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है:
- (क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 29 जून, 2022(बुधवार)
- (ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख : 30 जून, 2022(गुरुवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 02 जुलाई, 2022(शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा : 18 जुलाई, 2022(सोमवार)

आदेश से,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
(वरिष्ठ प्रधान सचिव)

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

15th June, 2022 / Jyaistha 25, 1944 (Saka)

No. 479/2022:- Whereas, the term of office of Shri Ram Nath Kovind, President of India, is due to expire, in terms of clause (1) of Article 56 of the Constitution, on the 24th Day of July, 2022; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 62 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the vacancy in the office of the President of India that the election will be completed at such time as will enable the President thereby elected to enter upon his/her office on the 25th Day of July, 2022;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

- (A) **calls upon** the Electoral College, referred to in Article 54 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of President of India before the expiration of the term of the incumbent President, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and
- (B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, **appoints** -
- a) the 29th June, 2022 (Wednesday), as the last date for making nominations;
 - b) the 30th June, 2022 (Thursday), as the date for scrutiny of the nominations;
 - c) the 02nd July, 2022 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
 - d) the 18th July, 2022 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SR. PRINCIPAL SECRETARY
